न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 118 सन् 2019

पंजीयन दिनांक :- 24.09.2019

1. रामा पिता जीतु भील मृतक के बजाय-
   1/1. रतनलाल पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/2. उकार पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/3. भंवर पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/4. कालुराम पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/5. कैलाश पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/6. राजु पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/7. कमला पिता रामा पत्नी काशीराम भील निवासी कल्याणपुरा हाल सोहनखेडा तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
   1/8. गीता पिता रामा पत्नी रतनलाल भील निवासी कल्याणपुरा हाल करूकडीया तहसील कपासन जिला चितौडगढ
2. हजारी पिता जीतु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
3. मोती पिता जीतु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
4. भग्गा पिता जीतु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
5. अम्बालाल पिता जीतु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
6. झमकुडी पिता जीतु पत्नी डालु निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौडगढ
7. अमरी पिता जीतु पत्नी जीतु भील निवासी पीपली गुर्जरान तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
8. भुरी बेवा जीतु भील निवासी कल्याणपुरा- मृतक (वारिसान पूर्व से ही अपीलांट के रूप में पक्षकार है।)

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. किशनलाल पिता गोकल भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
2. चुन्ना पिता गोकल भील - नाम पृथक
3. सुरजमल पिता गोकल भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
4. नाथु पिता गोकल भील- मृतक के बजाय
   4/1. रामलाल पिता नाथु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   4/2. रतनी पिता नाथु पत्नी मोहनलाल भील निवासी गोरा का खेडा तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
5. नारायण पिता गोकल भील- मृतक के बजाय
   5/1. भैरू पिता नारायण भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   5/2. जमना पिता नारायण पत्नी भेरूलाल भील निवासी खाखरीया का खेडा तहसील कपासन जिला चितौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

5/3. मागी विधवा नारायण भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ

6. बालु पिता गोकल भील- मृतक के बजाय

6/1. रतनलाल पिता बालु भील - नाम पृथक

6/2. बगदी विधवा बालु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ

7. सोराम पिता गोकल भील -मृतक के बजाय

7/1. रतनलाल पिता सोराम भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ

7/2. चान्दी विधवा सोराम भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ

8. प्यारा पिता गंगाराम भील निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चितौडगढ

9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कपासन जिला चितौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 256/2001 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2006

वक्त बहस उपस्थित- 1. ललित झंवर- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. तसलीम खान पठान- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4/1,5/1, 5/3,6/2,7/1 व 7/2
3. रेस्पोडेन्ट सं0 4/2, 5/2 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 9

निर्णय

दिनांक :- 07.07.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 वादीगण ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 8 व 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53,88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुरा में खसरा संख्या 550 से 556, 562 व 563 कुल किता 9 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर कृषि आराजी अवस्थित है जो वादीगण के कब्जे काश्त की होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 से 9 के नाम दर्ज है।

उपर्युक्त वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व खातेदार गुल्ला पिता दयाराम भील जिनके स्वर्गवास हो जाने पर उनके उतराधिकारी देवा पिता गुल्ला तथा उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद गोकल पिता देवा के हम वादीगण वैध उतराधिकारी है किन्तु गत सेटलमेंट के समय राजस्व कर्मियों की भूल से उक्त वादग्रस्त आराजीयात जीतु पिता उदा भील के नाम दर्ज

हो गई। उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी सं0 1 से 9 के नाम दर्ज हो गई। जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जाकर दर्ज की जावें।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दिनांक 06.09.2006 को विवादित आराजीयात वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज किये जाने के निर्णय एवं डिक्री जारी किये गये जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 9 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 9 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4/1,5/1,5/3,6/2,7/1 व 7/2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 4/2, 5/2 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 6/1 के नाम पृथक किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 9 ने अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 9 ने अपनी बहस मे अपील मेमो एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पेश किया जबकि सहायक कलक्टर वाद सुन सकते है। विवादित आराजीयात सेटलमेंट से पूर्व अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट सं0 8 प्रतिवादी सं0 1 से 9 के नाम दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय ने कमिश्नरी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत 2012(2)आर.आर.टी. पेज 1079 प्रस्तुत किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद रेकार्ड व साक्ष्य से प्रमाणित नही हुआ। प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील नही होने से सुनवाई नही हो सकी। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ-पत्र का खण्डन नही हुआ। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को सही मानते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावें। न्यायिक दृष्टांत 2016(3) आर.जे.टी. पेज 1544 पेश कर निवेदन किया कि म्याद के बिन्दु पर अपील खारिज नही हो तथा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2020(1) पेज 01, आर.आर.टी.2006(1) पेज 19, आर.आर.डी.1999 पेज 07, आर.आर.डी.1996 पेज 457 व आर.जे.टी. 2009(1)पेज 155 प्रस्तुत किये। अन्त में अपील अन्दर मियाद मानते हुये स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4/1, 5/1, 5/3, 6/2, 7/1 व 7/2 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की अपीलांट्गण एवं रेस्पोर्डेट संख्या 8 व 9 प्रतिवादीगण को विधिवत तामील करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये। जवाबदावा का अवसर चाहा। स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील नही की जा सकती। इस बाबत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1420 एवं आर.आर.टी.2016-17(पूरक) पेज 714 प्रस्तुत किये। अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के 13 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जबकि 12 वर्ष पश्चात तो न्यायालय द्वारा पारित डिक्री भी शून्य हो जाती है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 विलम्ब का शमन बाबत अपीलांट्गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है। इस बाबत न्यायिक दृष्टांत 2013(3)डी.एन.जे.(राज.)132। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका नम्बर 9827/2010 में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2013 प्रस्तुत किया। अन्त में धारा 5 के प्रार्थना-पत्र को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अपीलीय पत्रावली, अपील मेमो एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र तथा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 वादीगण ने अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 8 व 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53,88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुरा की वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व खातेदार गुल्ला पिता दयाराम भील थे जिनके स्वर्गवास हो जाने पर उनके उतराधिकारी देवा पिता गुल्ला तथा उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद गोकल पिता देवा के वादीगण वैध उतराधिकारी है। विवादित कृषि आराजीयात वादीगण के नाम हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जाकर अलग-अलग दर्ज की जावें। प्रस्तुत वाद के विचारण के दौरान न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी सं0 9 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये गये जिससे अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील नही होने से उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला कतई विश्वसनीय नहीं रहा है। प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु जवाबदावा प्रस्तुत नही करने के कारण दिनांक 24.03.2004 को जवाबदावा बन्द किया गया। अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण नही दर्शाया गया जिससे अपील प्रस्तुति में हुए 13 वर्ष के विलम्ब को क्षम्य किया जा सके। गुणावगुण पर विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करना प्रतीत होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कमीश्नरी रिपोर्ट एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सम्पादित इकरारनामा की रोशनी में निर्णय किया गया है। अतः मेरिट पर अपील पुख्ता नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में वकिल अपीलांट की तरफ से पेश नजीरे इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। यहां लिमिटेशन का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है और 13 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद अपील बिना किसी ठोस कारण के गुणावगुण पर श्रवणार्थ ग्रहण करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 अस्वीकार किया जाकर अपील निर्धारित समयावधि से काफी विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण अवधि बाधित होने से अपील अपीलांट्गण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 256/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2006 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावें।

7/7/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 118/2019/डिक्री पंजीयन दिनांक 24.09.2019

1. रामा पिता जीतु भील मृतक के बजाय-
   1/1. रतनलाल पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/2. उकार पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/3. भंवर पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/4. कालुराम पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/5. कैलाश पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/6. राजु पिता रामा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   1/7. कमला पिता रामा पत्नी काशीराम भील निवासी कल्याणपुरा हाल सोहनखेडा तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
   1/8. गीता पिता रामा पत्नी रतनलाल भील निवासी कल्याणपुरा हाल करूकडीया तहसील कपासन जिला चितौडगढ
2. हजारी पिता जीतु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
3. मोती पिता जीतु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
4. भग्गा पिता जीतु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
5. अम्बालाल पिता जीतु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
6. झमकुडी पिता जीतु पत्नी डालु निवासी रेण का खेडा तहसील कपासन जिला चितौडगढ
7. अमरी पिता जीतु पत्नी जीतु भील निवासी पीपली गुर्जरान तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
8. भुरी बेवा जीतु भील निवासी कल्याणपुरा- मृतक (वारिसान पूर्व से ही अपीलांट के रूप में पक्षकार है।)

-अपीलान्टस

बनाम

1. किशनलाल पिता गोकल भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
2. चुन्ना पिता गोकल भील - नाम पृथक
3. सुरजमल पिता गोकल भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
4. नाथु पिता गोकल भील- मृतक के बजाय
   4/1. रामलाल पिता नाथु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   4/2. रतनी पिता नाथु पत्नी मोहनलाल भील निवासी गोरा का खेडा तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
5. नारायण पिता गोकल भील- मृतक के बजाय
   5/1. भैरू पिता नारायण भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ
   5/2. जमना पिता नारायण पत्नी भेरूलाल भील निवासी खाखरीया का खेडा तहसील कपासन जिला चितौडगढ
   5/3. मागी विधवा नारायण भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ

6. बालु पिता गोकल भील- मृतक के बजाय

6/1. रतनलाल पिता बालु भील - नाम पृथक

6/2. बगदी विधवा बालु भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ

7. सोराम पिता गोकल भील -मृतक के बजाय

7/1. रतनलाल पिता सोराम भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ

7/2. चान्दी विधवा सोराम भील निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ

8. प्यारा पिता गंगाराम भील निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चितौडगढ

9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कपासन जिला चितौड़गढ

-रेस्पोडेन्टस

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन प्रकरण संख्या 256/2001 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2006 अन्तर्गत धारा 53,88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 07.07.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ललित झंवर, रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,4/1,5/1,5/3,6/2,7/1 व 7/2 की ओर से तसलीम खान पठान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की तरफ से राजकीय अभिभाषक पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपील निर्धारित समयावधि से काफी विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण अवधि बाधित होने से अपील अपीलांट्गण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 256/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2006 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक **07.07.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

7/7/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ